



प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रतिभूति कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को “जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है” एवं “दायित्व रहित” के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ क्रणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साप्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य	
					अग्रिम धराहर जमा राशि	बिड वृद्धि राशि
1.	रीवा	1. श्री कृष्ण-द्रकुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा (उधारकर्ता/ संपत्ति बंधकर्ता) 2. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा (उधारकर्ता) पता:- वार्ड क्र.43, वैष्णो देवी मंदिर के पास चिरहुला मंदिर, चिरहुला, रीवा (म.प्र.) 3. श्री राम शरण पाण्डेय पिता श्री इंद्रपाल पाण्डेय (गारंटीदाता) पता :- ग्राम दीहिया पोस्ट बदराव गौतमान, जिला रीवा (म.प्र.)	रु.11,80,321.00/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :- खसरा क्र.55/3 मौज़ा चिरहुला, वार्ड क्र. 43 ज.न.183, पटवारी हल्का चिरहुला 34, सर्किल रीवा गिर्द, ब्लॉक रीवा, तहसील रीवा, जिला रीवा (म.प्र.), भू-स्वामी श्री कृष्ण-द्रकुमार शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा चतुरसीमा उत्तर:- 15 फीट प्रस्तावित कचा रास्ता दक्षिण:- देविदीन पटेल की बाउंड्री पूर्व:- वैष्णो देवी मंदिर की सीमा पश्चिम:- विनोद द्विवेदी का प्लॉट, क्षेत्रफल :- 4305.56 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा	रु	39,28,000/-
		रु			3,92,800/-	
		रु			1,00,000/-	
2.	रीवा	1. श्री दीपक मिश्रा पुत्र श्री मधुसूदन प्रसाद मिश्रा (उधारकर्ता) 2. श्रीमति ललिता मिश्रा पत्नी श्री मधुसूदन प्रसाद मिश्रा (उधारकर्ता/ संपत्ति बंधकर्ता) पता:- वार्ड क्रा. 15, ग्राम समन 580, हल्का समन संजय नगर समदाइया बिल्डिंग के पास समन रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)	रु.21,66,073.00/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :- खसरा क्रा. 275/9, मौज़ा समन जनरल नंबर 580, पटवारी हल्का समन नंबर 32 (पुराना नंबर 19), नगर पालिका वार्ड क्रा. 15, आर.आई. सर्किल रीवा, डॉ रिचा पटेल के नर्सिंग होम के पास, संजय नगर समन तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.), भू-स्वामी श्रीमति ललिता मिश्रा पत्नी श्री मधुसूदन प्रसाद मिश्रा चतुरसीमा उत्तर:- 10 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण:- अन्य की बाउंडरी पूर्व:- खरीदी गयी भूमि का शेष भाग पश्चिम:- अन्य का मकान, क्षेत्रफल :- 1040.00 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा	रु	32,68,000/-
		रु			3,26,800/-	
		रु			1,00,000/-	
3.	अमरपाटन	1. श्रीमति ममता मिश्रा पत्नी श्री भास्कर दत्त मिश्रा (मूल उधारकर्ता) 2. श्री भास्कर दत्त मिश्रा पुत्र श्री चंद्रा शेखर प्रसाद मिश्रा (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधकर्ता) पता:- खसरा क्रा. 117/41, कृष्णा नगर कॉलोनी सतना रोड तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.)	रु.8,70,935.00/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :- खसरा क्रा. 117/41, कृष्णा नगर कॉलोनी सतना रोड तहसील अमरपाटन जिला सतना (म.प्र.), भू-स्वामी:- श्री भास्कर दत्त मिश्रा पुत्र श्री चंद्रा शेखर प्रसाद मिश्रा चतुरसीमा पूर्व:- 15 फीट सड़क, पश्चिम :- संतोष की संपत्ति, उत्तर :- आशीष मिश्रा का मकान, दक्षिण:- ममता मिश्रा की भूमि, क्षेत्रफल :- 1829.86 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा	रु	21,95,000/-
		रु			2,19,500/-	
		रु			1,00,000/-	
4.	सीधी (म.प्र.)	1. श्री अरमान जिलनी पुत्र श्री गुलाम ऐनुद्दीन (मूल उधारकर्ता/ संपत्ति बंधकर्ता) 1).पता :- वार्ड क्रा. 22 मकान क्रा.109 आयुर्वेदिक अस्पताल के पास, तलवार गेट अमरा, पोस्ट सीधी थाना सीधी तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.)-486661 2).पता :- ग्राम पटहरा खुर्द सीधी गिर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.)-486661	रु.7,99,071/- + ब्याज + विधिक व्यय	संपत्ति :- खसरा क्रा. 686/7 पटवारी हल्का क्रा.59 ग्राम पटहरा खुर्द सीधी गिर्द तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.)-486661, भू-स्वामी :- श्री अरमान जिलनी पुत्र श्री गुलाम ऐनुद्दीन, चतुरसीमा पूर्व :- प्रस्तावित 15 फीट सड़क, पश्चिम :- भूमि सीधी की शेष भूमि, उत्तर :- भूमि सीधी की शेष भूमि, दक्षिण:- भूमि सीधी की शेष भूमि, क्षेत्रफल :- 1000.00 वर्ग फीट /प्रलक्षित कब्जा	रु	3,25,000/-
		रु			32,500/-	
		रु			50,000	

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात् [www.centralbankofindia.co.in](http://www.centralbankofindia.co.in) देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल <http://www.mstecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 033-22901004, क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (ईमेल- [recvshahro@centralbank.co.in](mailto:recvshahro@centralbank.co.in)) या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मोब:-91-9693096247) से सभी कार्यालयों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों / दूसरे दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा - रीवा (मो.91-7764058135), अमरपाटन (मो.91-9098264408), सतना (मो.-918226012871), सीधी (मो.-91-9179406871) से बैंकिंग कार्यालयों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 4/03/2023 से 05/02/2023 को कर सकते हैं। संबंधित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पन्द्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
For Central Bank of India

दिनांक: 25/02/2024  
स्थान: शहडोल (म.प्र)



बुढ़ार रोड शहडोल (म.प्र.) पिन-484001

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिक्रिया अधिकारी (Auth. Signatory)  
क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प्र.)  
Regional Office, Shahdol (M.P.)



**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**  
**Central Bank of India**

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE - SHAHDOL

चल/ अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 15/03/2024

विस्तृत नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी तिथि एवं समय	ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय
15/03/2024 समय: प्रातः 11.00 बजे से साँच 5.00 बजे तक	14/03/2024 साँच 5.00 बजे तक

**नियम एवं शर्तें**

1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित" के आधार पर तथा सरफेसी अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन की जाएगी।
2. नीलामी बोली/ बिड औन लाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया तहत वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> के माध्यम से निविदाकर्ताओं के मध्य परस्पर बोली के अनुसार - दिनांक 15/03/2024 को (प्रातः 11.00 बजे से साँच 5.00 बजे तक) 10 मिनट के स्वतः असीमित विस्तार सहित आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि के बल उपरोक्त तालिका में "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है।
3. विस्तृत विवरण को डाउनलोड करने, प्रक्रिया का अनुपालन और नियम एवं शर्तों के लिए कृपया पोर्टल <http://www.centralbankofindia.co.in> पर आएं व ई-नीलामी के लिए हमारे सेवा प्रदाता का वेबसाइट पता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> है।
4. निविदाकर्ता <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर विजिट कर सकते हैं जहाँ निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश, शैक्षणिक वीडियो के साथ उपलब्ध हैं।

निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित औपचारिकताओं को पहले ही पूरा करना होगा:

**प्रथम चरण :** निविदाकर्ता/खरीदार का पंजीकरण : निविदाकर्ता को ई-नीलामी प्लेटफार्म (ऊपर दिए गए लिंक) पर अपने मोबाइल नं. व ई-मेल पते के साथ पंजीकरण करना है।

**द्वितीय चरण :** केवाईसी जांच के लिए निविदाकर्ता को निर्धारित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना है। केवाईसी दस्तावेजों की जांच ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी (जिसमें 2 कार्य दिवसों का समय लग सकता है)।

**तृतीय चरण :** निविदाकर्ता की ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) धनराशि को ग्लोबल ईमडी वालेट में अंतरित करना - ई-नीलामी प्लेटफार्म पर आन लाइन/आफ लाइन फण्ड का अंतरण एनइएफटी (NEFT)/ चलान आधारित अंतरण किया जाता है।

**चतुर्थ चरण :** बोली लगाने की प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत निविदाकर्ता प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरणों को पूरा करने के पश्चात ई-नीलामी हेतु बोली लगा सकते हैं।

**कृपया नोट करें कि इच्छुक निविदाकर्ता को प्रथम चरण से तृतीय चरण की प्रक्रिया तक, नीलामी तिथि से पहले अग्रिम रूप से पूरा करना है।**

5. ई-नीलामी प्लेटफार्म (<https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>) पर ई-नीलामी सेवाएं हमारे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता- एमएसटीपी लि. द्वारा प्रदान की जाती हैं जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी.ए.जी.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 में है। इच्छुक निविदाकर्ताओं/खरीदारों को ई-नीलामी प्रक्रियाओं हेतु ई-नीलामी सेवा प्रदाता के वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> पर सहभागिता की जरूरत है। ई-नीलामी पोर्टल पर सेवा प्रदाता कम्पनी ई-नीलामी के लिए आन-लाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तें बैंक की वेबसाइट <http://www.centralbankofindia.co.in>, <http://ibapi.in> और <https://www.mstcecommerce.com> पर उपलब्ध हैं। ई-नीलामी के परिचालन के लिए सहायता मैनुअल इस ई-नीलामी का e-bक्रय आईबीएपीआई के पोर्टल (<http://www.ibapi.in>) पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी विक्रय नोटिस, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, विक्रय नोटिस की प्रतियां, ई-नीलामी का सहायता मैनुअल, मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता, जिहें आन-लाइन आई डी और पासवर्ड सृजित करने, डाटा अद्यतन करने, बोली प्रस्तुत करने और ई-नीलामी प्रक्रिया के प्रशिक्षण में सहायता की आवश्यकता है, वे वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) पर या उनके केंद्रीय हेल्प डेस्क नं. 033-22901004 पर समर्पक कर सकते हैं।
6. इच्छुक निविदाकर्ता/खरीदार को नीलामी समय से पहले अपनी ईएमडी (EMD/ अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) अग्रिम रूप से ग्लोबल ईएमडी वालेट में अंतरित करना है। अगर ईएमडी धनराशि, ईएमडी वालेट में उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम निविदा की अनुमति नहीं देगा। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जांच और ईएमडी का वालेट में अंतरण अग्रिम रूप से नीलामी से पूर्व (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व) पूरा होना चाहिए। निविदाकर्ता या तो एक या सभी सम्पत्तियों का प्रस्ताव दे सकते हैं। ई-नीलामी की तिथि पर वालेट में पर्याप्त ईएमडी होने पर ही इच्छुक निविदाकर्ता पात्र होंगे। बोली लगाने के समय, निविदाकर्ता की वालेट में पर्याप्त ईएमडी होनी चाहिए(EMD)। अगर निविदाकर्ता एक से अधिक सम्पत्तियों के लिए प्रस्ताव देते हैं तो उन्हें प्रत्येक सम्पत्ति के लिए अलग-अलग ईएमडी जमा करना होगा।
7. ऊपर बताई गई अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान आन-लाइन अर्थात नेफ्ट (NEFT) /अंतरण (चलान फार्म तैयार करने के पश्चात <https://www.mstcecommerce.com> ) निविदाकर्ता के ग्लोबल ईएमडी वालेट में किया जाएगा। नेफ्ट अंतरण किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। ईएमडी का भुगतान अन्य किसी तरीके जैसे चेक/मांग डाप्ट से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ता जो अपनी ईएमडी वालेट में मांगी गई, ईएमडी जमा नहीं कर रहे हैं, उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य अग्रिम धरोहर जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और असफल निविदाकर्ताओं को बिना ब्याज के ईएमडी वापस की जाएगी।
8. ईएमडी (अनिवार्य अग्रिम धरोहर राशि) प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय दिनांक 14.02.2024 साँच 5.00 बजे तक।
9. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य से नीचे उद्धत की गई बोली अस्वीकार की जाएगी। निविदाकर्ता अपनी बोली, बिड वृद्धि राशि के बल उपरोक्त तालिका में संबंधित संपत्ति के सामने उद्धत "बिड बोली वृद्धि राशि" के गुणन में वृद्धि कर सकता है। अगर कोई निविदा अंतिम 10 मिनट में प्राप्त होती है, तो उसे 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जाएगा। 10 मिनट का समय सफल ऊची बोली लगाने के लिए दिया जाएगा, अगर निविदाकर्ताओं द्वारा कोई ऊची बोली नहीं लगाई जाती है, तो 10 मिनट की समाप्ति पर सबसे ऊची बोली पर ई-नीलामी बंद की जाएगी।



10. प्राधिकृत अधिकारी को अपनी सम्पूर्ण जानकारी और ज्ञान के आधार पर सम्पत्ति पर किसी भी भार की जानकारी नहीं है। तथापि, इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति पर भार, सम्पत्ति पर हक्कें, दावों/अधिकारों/देयताएं जो सम्पत्ति को प्रभावित करती हैं, की जांच अपने स्वतंत्र सूत्रों से करनी चाहिए। ई-नीलामी का विज्ञापन, बैंक का कोई भी प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही निर्मित कराता प्रतीत होगा। सम्पत्ति की बिक्री उसके वर्तमान व भविष्य के सभी भार, जिनकी जानकारी बैंक को है या नहीं है, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तरह के तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगे।
11. यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि बोली लगाने के पूर्व सम्पत्ति के निरीक्षण से संतुष्ट हों। नीलामी हेतु संपत्ति के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक निविदाकर्ताओं को मौके पर प्रत्येक संपत्ति के विवरण के साथ दी जाएगी।
12. आन-लाइन बोली के अंतर के लिए निविदाकर्ता अपनी बोली की राशि हेतु विक्रय नोटिस में उल्लिखित 'बिड वृद्धि राशि' के गुणांक में सुधार कर सकता है। अगर बोली, ई-नीलामी के बंद होने के अंतिम 10 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो ई-नीलामी के बंद होने का समय स्वयं ही 10 मिनट बढ़ जाएगा। (प्रत्येक समय ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक), अन्यथा, यह स्वतः ही बंद हो जाएगी। निविदाकर्ता, जो सबसे ऊची निविदा (आरक्षित मूल्य से नीचे न हो) प्रस्तुत करता है, तो ऐसे निविदाकर्ता, ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होते समय प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार वांछित सत्यापन के पश्चात सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाता है।
13. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्चतम बोली को स्वीकार करने के बाद, सफल निविदाकर्ता को विक्रय मूल्य का 25%, पूर्व में जमा ईएमडी (EMD) अनिवार्य अधिग्रहण धरोहर जमा राशि को समायोजित करने के पश्चात उसी दिन या अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75%, नीलामी तिथि के दिन से 15वें दिन तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के पूर्णरूप से विवेकाधिकार के अंतर्गत लिखित रूप सहमति के आधार पर बढ़े हुए समय में नेफट/आरटीजीएस से बैंक के निम्नलिखित खाते में जमा करना होगा:

खाता संख्या	खाता का नाम	आईएफएससी कोड / शाखा नाम
5357325608	AUTHORISED OFFICER RO SHAHDOL	CBIN0280787 / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा शहडोल, शहडोल

सफल निविदाकर्ता द्वारा यथोक्त निर्धारित समायावधि में विक्रय मूल्य जमा कराने में असफल रहने पर, उनके द्वारा निविदा के सापेक्ष पहले से जमा की गई धनराशि

जब तक कर ली जाएगी और सम्पत्ति/यों को पुनः नीलामी की जाएगी। इस तरह चूकने वाले निविदाकर्ता का सम्पत्ति पर कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।

14. वैधानिक/वैधानिक से अतिरिक्त देनदारियाँ, कर, दर, निर्धारण शुल्क, फीस, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, अंतरण प्रभार आदि क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा।

15. प्राधिकृत अधिकारी, उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार है कि वह एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार/स्थिगित/रद्द या ई-नीलामी प्रक्रिया को बिना कारण बताए समाप्त कर दे।

16. सभी विक्रय प्राप्तियों के प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है। खरीदार को स्टाम्प छुटी का भुगतान करना होता है जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रभार, सरकार/किसी प्राधिकारी को देय सभी वैधानिक देय राशियाँ, कर, जीएसटी और सम्पत्ति के वर्तमान और आगे वाले किराए का भुगतान शामिल है। बोली/निविदा में शामिल नामों के अतिरिक्त किसी का नाम जोड़ने/घटाने की अनुमति का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल सफल निविदाकर्ता के नाम विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

17. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा बोली को ख्याली रूप से बदलने और बिना किसी पूर्व नोटिस और विक्रय के नियम एवं शर्तों में सुधार करने का पूरा अधिकार है। अगर पूर्व की बोली असफल हो जाती है तो बिना कारण बताए अगले सबसे ऊचे निविदा कर्ता को निष्पादन के लिए बुलाने का अधिकार है।

18. सम्पत्ति की बिक्री जहां है जैसी है, जो है जैसी है के आधार पर की जा रही है। निविदायें प्रस्तुत करने से पहले, इच्छुक निविदाकर्ता अपनी शंकाओं का समाधान स्वतन्त्र जांच और सम्बंधित रजिस्टर/एसआरओ/आय रिकार्ड/भार के सम्बंध में सत्यापन कर सकते हैं। दूसरे वैधानिक प्राधिकारियों और सम्पत्ति पर दावों/अधिकारों/भार/गृहणाधिकार, देयताएं आदि के लिए कोई भी प्राधिकारी जैसे विक्रय कर, उत्पाद शुल्क/जीएसटी/आयकर बैंक के प्रभार के अतिरिक्त स्वामित्व प्रकृति, विवरण, मात्रा, गुणवत्ता, दशा, भार/गृहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक देयताएं आदि का सत्यापन निविदा प्रस्तुत करने के पहले कर लेना चाहिए। ई-नीलामी, विज्ञापन नहीं बनाती है और कोई बचनबद्धता निर्मित नहीं करती है और न तो बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय पक्षकार के उपर्युक्त वर्पित दावे/अधिकारों/वैधानिक देयताओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, (अगर कोई है)। आन लाइन नीलामी की प्रस्तुति के पश्चात विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति की प्रकृति, विक्रय प्रभार, भार और अन्य मामलों के दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. बैंक उल्लिखित सम्पत्ति के विक्रय के लिए उनकी अनुमति प्रक्रिया दिलाने, अनुज्ञापत्र, एनओसी आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है अथवा सम्पत्ति के विक्रय पर देयताओं जैसे पानी, सेवाप्रभार, अंतरण शुल्क, विद्युत बकाया, नगरपालिका/स्थानीय अधिकारियों/सहकारी आवास सोसाइटी की बकाया देयताएं अथवा अन्य देयताएं, टैक्स, लेवी, शुल्क आदि, यदि सम्पत्ति के विक्रय पर देय हों, तो बैंक कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सफल निविदाकर्ता को सम्पत्ति की खरीद पर आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत लागू दर से कर का भुगतान प्राधिकारियों को करना है।

20. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले ई-नीलामी हेतु उपलब्ध एमाएसटीसी के वेब पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, [www.ibapi.in](http://www.ibapi.in) और [www.Centralbankofindia.co.in](http://www.Centralbankofindia.co.in) पर जाएं और ई-नीलामी की विस्तृतशर्तों एवं दशाओं का अध्ययन करें।

21. निविदाकर्ताओं के स्वयं के हित में अंतिम क्षणों में बोली लगाने से बचना चाहिए, क्यों कि न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और न सेवा प्रदाता, ई-नीलामी प्रक्रिया में किसी भी चूक/असफलता/इंटरनेट अवरुद्धता/विधुत व्यवधान आदि की जवाबदेही नहीं लेगा। इस तरह की आकस्मिक स्थिति से दूर रखने के लिए निविदाकर्ताओं से विवेदन है कि वे आवश्यक व्यवस्थाएं/वैकल्पिक उपाय जैसे पावर सप्लाई, बैंक अप की व्यवस्था करें, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों पर गतिरोध को दूर रखा जा सके और नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें।

22. बिक्री, बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

23. शीर्षक दस्तावेजों / दस्तावेजों / संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु : संबंधित शाखा – रीवा (मो.91-7764058135), अमरपाटन (मो.91-9098264408), सीधी (मो.91-9179406871) से बैंकिंग कार्यालयों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए श्री रामा कान्त मिश्रा ( प्राधिकृत अधिकारी) मो.9693096247, क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल, ईमेल-recvshahro@centralbank.co.in से सभी कार्यालयों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

कृत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता (Auth. Signatory)  
क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल (म.प.)  
कृत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी



स्थान : शहडोल

दिनांक : 25/03/2024